संख्या:-83/2021/167आ0/23-5-21-16(भवन)/2020टीसी

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2021**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में लेखाशीर्षक 2216-01-700-05-00-29 "आवासीय भवनों का अनुरक्षण" के अन्तर्गत जनपद आगरा के 04 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-32बीजीबी/112बीजीबी/लो0नि0वि0-कर्म0-अधि0आवा0/उ0प्र0प0/2021-22, दि0 22.06.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यों हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित कुल धनराशि **रू0 21.73 लाख(रू0 इक्कीस लाख तिहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	48/2021/104आ0/23-5-21-26(भवन)/2020टीसी, दिनांक 18.03.2021	जनपद आगरा में जज कम्पाउण्ड आगरा के आवास सं0-ए-4 की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	4.49	00.37	04.12	04.12
2	तदैव	जनपद आगरा में जज कम्पाउण्ड आगरा के आवास सं0-बी-5 की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	7.39	00.37	07.02	07.02
3	तदैव	जनपद आगरा में जज कम्पाउण्ड आगरा के आवास सं0-ए-15 की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	5.63	00.37	05.26	05.26
4	तदैव	जनपद आगरा में जज कम्पाउण्ड आगरा के आवास सं0-ए-09 की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	5.70	00.37	05.33	05.33
योग :-			**23.21**	**01.48**	**21.73**	**21.73**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-05-सामान्य एवं विशेष मरम्मत-00-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यों हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या:-83/2021/167आ0(1)/23-5-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त आगरा।
4- जिलाधिकारी आगरा।
5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा।
11- अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10
14- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।